आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार ..... सिंगनोर ..... [illegible]

[illegible] 06.12.2021

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :–

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / ~~गुढागौड़जी~~

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

–: आदेश :–

दिनांक :– .....

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सिंगनोर	2075-78	310	मंगेजाराम पुत्र नाथिया	मंगेजा राम पुत्र नाथू राम

नोट :–शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :– 7/12/2021

क्रमांक :– राजस्व / 2020 / 2065

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को [illegible] प्रेषित है।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:24:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner